न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 12/2021 GCMS No.—2021/21

जगदीश गुर्जर पुत्र श्री गंगाधर गुर्जर जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भोपाला कुशलपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील कार्यालय जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 विरूद्व आदेश दिनांक 12.01.2021 प्रकरण अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर उनवानी प्रकरण सरकार बनाम जगदीश मुकदमा नं0 22/21 में पारित आदेश के विरूद्व।

उपस्थितः–

1. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट की ओर से श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 12.10.2021

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.2021 से अपीलांट्स द्वारा ग्राम रायसर, तहसील जमवारामगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 417 रकबा 0.51 हैक्टेयर किस्म चारागाह (गै.मु.सडक) में से 0.01 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा कर अतिकमण किया है। अपीलांट्स को अतिचारी मानकर उक्त आराजी किस्म चारागाह भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान की 0.01 रूपये का 50 गुना 1/– रूपये बतौर शास्ति आरोपित कर अतिकमी अपीलांट्स को मौके से बेदखल करने के आदेश दिये गये। अपीलांट्स ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय अपीलांट के विरूद्ध पारित किया है, वह वास्तविक तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टया

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

ही खारिज काबिल है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सूचित किये बिना मुकम्मिल तामील व जवाबदेही का अवसर दिये आनन–फानन में अपीलांट को अतिक्रमी मानकर प्रश्नगत आदेश दिनांक 12.01.2021 पारित कर दिया जबकि अपीलांट के नाम जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस की अपीलार्थी पर प्रोपर तामील नहीं कराई गई। अपीलांट के भाई ग्यारसीलाल गुर्जर की सडक दुर्घटना में दिनांक 11.01.2021 को मृत्यु हो गई थी। इस कारण अपीलांट दिनांक 11.01.2021 एवं 12.01.2021 को जयपुर हॉस्पिटल में था। अपीलांट को सरपंच ग्राम पंचायत रायसर, पं.स. जमवारामगढ द्वारा दिनांक 27.04.2017 को आवंटन पत्र (व्यवसायिक भूमि का पट्टा) जारी किया गया था, जिसका पट्टा पंजीयन विलेख भी दिनांक 05.10.2017 उपपंजीयक जमवारामगढ में पंजीबद्व कराया गया है। अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित भूमि पर ही दुकान बना रखी है जिसका कुल क्षेत्रफल 20 वर्गगज है। पटवारी हल्का ने बिना मौके पर सीमा ज्ञान किए दुर्भावनावश अपीलांट के विरूद्व धारा 91 की रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की है जिस पर आगे कार्यवाही करते हुए तहसीलदार जमवारामगढ ने बिना अपीलांट को सुने एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित भूमि पर दुकान चलाता है एवं दुकान के आस–पास सरकारी कार्यालय है। बिना सीमा ज्ञान करवाये अपीलांट का अतिक्रमण स्पष्ट नहीं होता है एवं अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरूद्व सर्वथा झूठी रिपोर्ट पेश की गई एवं अपीलांट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली कमांक 22/21 उनवानी सरकार बनाम जगदीश में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2021 निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट्स ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चारागाह(गै.मु.सडक) दर्ज है। अपीलांट के विरूद्व धारा 91 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर (गै.मु. सडक) की भूमि पर अतिक्रमण होने से अपीलांट्स को राजकीय भूमि से बेदखली के आदेश दिनांक 12.01.2021 को पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये है, वह उचित है। अपील अपीलांट्स खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा ग्राम रायसर तहसील जमवारामगढ स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 417 रकबा 0.51 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से 0.01 हैक्टेयर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

(गै.मु.सडक) भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण होने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किए गए जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में ही अपीलांट को राजकीय भूमि से बेदखल करने आदेश दिनांक 12.01.2021 को पारित किए गए। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधि0 की धारा 91 के तहत अपीलांट के विरूद्व कार्यवाही की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि ग्राम पंचायत रायसर, पं.स. जमवारामगढ द्वारा अपीलांट को व्यवसायिक भूमि का पट्टा आवंटित किया गया है एवं अपीलांट ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित भूमि पर ही काबिज होकर दुकान चला रहा है एवं अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि के अतिरिक्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत रायसर द्वारा अपीलांट को आवंटित पट्टे की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट को 20 वर्गगज भूमि ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित की गयी है परन्तु सीमा ज्ञान हेतु अपीलांट सक्षम स्तर पर स्वयं आवेदन करे। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य, सबूत पेश करने अवसर प्रदान नहीं किया गया और अपीलांट की अनुपस्थिति में ही राजस्थान भू राजस्व की धारा 91 के तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित निर्णय रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा प्रकरण संख्या 22/2021 बउनवानी सरकार बनाम जगदीश गुर्जर में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड **(Remand)** किया जाता है कि वह अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात के आधार पर बाद जांच कानूनी प्रावधान तथा प्रकिया अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर